भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1635

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में भारत को पुन: स्थापित किया जाना

+1635. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की काफी प्रशंसा की गई है, तथापि, स्वच्छता, सुरक्षा और परिवहन संबंधी मुद्दों के कारण देश की पर्यटन प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत की विविधता और समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में इसकी स्थिति को पुन: स्थापित की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक क्या सफलता मिली है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की बहुत प्रशंसा हुई है। विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 305.43% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2021 में 1.52 मिलियन की तुलना में वर्ष 2022 में 6.19 मिलयन था।

(ख): स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), ग्वालियर, केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान (सीआईएचएम), राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एसआईएचएम) और फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट (एफसीआई) के माध्यम से पूरे देश में स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए पर्यटन जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 2 से 6 दिन है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के लिए अंततः बेहतर सेवा परिवेश और अनुभव प्रदान करना है तथा स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना है।

पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि पर्यटन मंत्रालय ने भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

i. पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति पर्यटन पुलिस को जागरूक करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन पुलिस के कार्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का प्रलेखन' नामक अध्ययन करवाया जिसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया था। प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटीएम द्वारा दिया गया एक प्रशिक्षण मोड्यूल भी, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था जिसे आगे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को परिचालित किया गया था।

iii. एक व्यापक कार्यढांचा तैयार करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन किया और एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पर्यटक पुलिस हेतु पाँच दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया है। उक्त रिपोर्ट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ भी साझा किया गया है। तदनुसार पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआर एंडडी के सहयोग से दिनांक 19.10.2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों के महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) के साथ पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

iv. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा संबंधी सूचना और भारत में यात्रा करते समय संकट में फसे पर्यटकों को उचित निर्देश देने के रूप में सहायक सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों को 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालियन, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियन, अरबी), हिंदी, अंग्रेजी सहित 12

भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो-हेल्पलाइन स्थापित की है ।

v. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संबंधी आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान की भावना के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है ।

पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सहयोग से प्रमुख पर्यटक गंतव्यों तक सड़क सम्पर्कता एवं मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार करने हेतु कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) और 'केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी चल रही योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु देश के विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन सृजक बाजारों में भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है । इन उद्देश्यों को एकीकृत विपणन एवं संवर्धनात्मक कार्यनीति और यात्रा व्यवसाय, राज्य सरकारों तथा भारतीय मिशनों के सहयोग से सहकारी अभियानों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । सरकार औद्योगिक विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर कार्य करती है और भारत के विविध पर्यटन उत्पादों के संवर्धन हेतु उनके सुझाव तथा प्रतिक्रिया लेती है । इसके अतिरिक्त आगंतुकों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने ''इन्क्रेडिबल इंडिया! विज़िट इंडिया ईयर 2023'' घोषित किया है ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय की अपनी वर्गीकरण/अनुमोदन हेतु स्वैच्छिक योजना के तहत होटलों के वर्गीकरण के लिए प्रदान की जाने वाली श्रेणियों में से एक हेरिटेज होटल श्रेणी है जिसका लक्ष्य राज्य भवनों, महलों, दुर्गों, हवेलियों, शिकारगाहों और वर्ष 1950 से पूर्व के किसी भी आकार के आवासों जैसी विरासत परिसंपत्तियों को संरक्षित करना है । यह प्रासंगिक है कि क्षेत्र की पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हुए इन इकाईयों के अग्रभाग,

वास्तुकला संबंधी विशेषताएं और सामान्य बनावट में विशिष्ट विशेषताएं और परिवेश परिलक्षित होनी चाहिए।
पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2023 तक निधि पोर्टल के माध्यम से देश में विरासत श्रेणी के तहत 55 होटलों को अनुमोदन प्रदान किया है।

इसके अलावा, मंत्रालय की एक डिजिटल पहल 'उत्सव पोर्टल' का उद्देश्य विश्व में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों का संवर्धन करने के लिए पूरे भारत के सभी समारोहों, महोत्सवों और लाइव दर्शनों को प्रदर्शित करना है। यह पोर्टल प्रत्येक राज्य के आयोजनों और महोत्सवों सहित महोत्सवों, आयोजनों और ऑनलाइन पूजा/आरती पर माह-वार और राज्य-वार कैलेंडर सामग्री प्रदर्शित करता है।

*****